

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 6 जून, 2016

क्रमांक, एफ. 1 (ए)/3/2016/ई/चार, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के नियम-8 की कंडिका-6 में उल्लेखित प्रावधान के अनुक्रम राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश वित्त सेवा सीधी भर्ती के निम्नलिखित कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों (सहायक संचालक) को कॉलम-5 में उल्लेखित तिथि से स्थायी किया जाता है:-


क्र०	अधिकारी का नाम	संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने दिनांक	1.1.2016 स्थिति में पदक्रम सूची क्रमांक	स्थायीकरण दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री नीरज कुमार मरावी	19.6.2006	139	19.6.2008
2.	सुश्री प्रतिभा टैगोर	23.6.2006	145	23.6.2008
3	श्री तेरसिंह बघेल	7.6.2006	146	7.6.2009
4.	श्री नीलकमल नरें	16.6.2006	148	16.6.2008
5.	श्रीमती नीमल परते	28.9.2006	151	28.9.2008
6.	श्री प्रदीप मरकाम	5.6.2006	155	5.6.2008
7.	श्रीमती अमिता श्रीवास्तव	16.3.2009	158	16.2.2012
8.	श्रीमती अल्पना ओझा	13.3.2009	160	2.7.2012
9.	श्री अश्विनी सिंह परिहार	13.7.2011	203	13.7.2013
10	श्रीमती दीप्ति मिश्रा	28.7.2011	205	28.7.2013
11	श्री अमन परतोर	13.7.2011	206	13.7.2013
12	श्री दीपक कुमार जैन	13.7.2011	207	13.7.2013

2/ मान० उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण अपास्त किये जाने के विरुद्ध मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये

गये है। उपर्युक्त स्थायीकरण मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेश के अध्याधीन होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(अनिरुद्ध मिश्रा)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 6 जून, 2016

पृष्ठांकन क्रमांक, एफ. 1 (ए)/3/2016/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 02. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
 03. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
 04. -आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 05. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
 06. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 07. कोषालय अधिकारी, भोपाल,
 08. सर्वसंबंधित अधिकारी, -----द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल ।
 09. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विजय कठाने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग